न्यायालय भू0 अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 32/2021 GCMS No 2021/77
दायरा तिथि : 06.04.2021
फैसला तिथि : 17-8-2021

प्रार्थीनीः–
जीतूदेवी पत्नि श्री वीरारामजी जाति जणवा
निवासीगुडा सिरवीयान सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

उपस्थितिः–
1. श्री कैलाश कुमावत .... अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री नरेन्द्र चौहान........................ पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार

–:: आदेश ::– दिनांक 17-8-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत कर ग्राम सेवाडी तहसील बाली में सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 311, 313 से 325 कुल खसरा–14 कुल रकबा 10.84 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण हिस्सा 1/42** की जगह दुरस्ती के माध्यम से सही व **शुद्ध हिस्सा 2/15 हिस्सा** दर्ज किये जाने का निवेदन किया। तथा साथ ही उक्त खाता अपवादित होने रेकर्ड में दर्ज सभी खातेदारान् के हिस्से की भी शद्धि किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा इसका आधार यह बताया गया कि वर्णित सह खातेदारो मेंसे प्रार्थीनी ने गणेशराम पुत्र गंगारामजी जाति कुम्हार निवासी से उनका 1/15 हिस्सा दिनांक 2.6.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद किया, तथा पोकरराम पुत्र गंगारामजी जाति कुम्हार से उनका 1/15 हिस्सा दिनांक 22.11.2008 को रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से खरीद किया गया। खरीद का नामान्तरकरण संख्या 2112 व 2107 दर्ज हुआ, जिसके अनुसार जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 में प्रार्थीनी का 2/15 हिस्सा दर्ज किया गया। वक्त सेग्रीगेशन वादग्रस्त भूमि में कुल 42 खातेदार दर्ज होने से सभी सह खातेदारान् का 1/42, 1/42 हिस्सा त्रुटिपुर्ण तौर पर दर्ज कर दिया गया। जिससे प्रार्थीया के हिस्से को शुद्ध किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 की सेग्रीगेशन के बाद की कम्प्युटराईज्ड प्रमाणित प्रति, एवं इससे पहले की प्रति, सैटलमेन्ट से पहले का नामान्तरकरण संख्या 50 दिनांक 18.5.1971 की प्रमाणित प्रति,मिलान क्षैत्रफल की प्रमाणित प्रति, वर्ष 1971 में दर्ज खातेदारान् की वंश वंशावली, मिसल बंदोबस्त् संवत् 2037 से 2056 की प्रमाणित प्रति मय शपथ पत्र पेश किये गये। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने रेकर्ड से जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली ने पटवारी हल्का, सेवाडी व निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के अनुसार वर्णित भूमि सैटलमेंट पूर्व के खसरा नंबर 130 रकबा 72 बीघा 4 बिस्वा के खातेदार पुना करमीया पि.जगा जीवा भूरा पि. चिमना हि. 1/5, ओटा देवा पि. दूदा हि. 1/5, नाथा पुत्र माला हि. 1/5, खेता पना केसा देवा पि. भोमा हि. 1/5 सभी मेघवाल, गंगाराम पुत्र अना हि. 1/5 जाति कुम्हार दर्ज होना बताया। भू0पबन्ध के बाद मिसल बंदोबस्त में त्रुटिपुर्ण निम्न अनुसार त्रुटिपुर्ण होना वर्णित कियाः–

क्रं. सं.	नाम खातेदार	सैटलमेंट में दर्ज हिस्सा	वास्तव में गत् रेकर्ड अनुसार जो दर्ज होना था वह हिस्सा
1	पूना करमा पि. जगा भगा जीवा भूरा पि. चिमना	1/5	1/5
2	पुनीया पुत्र नाथा	1/5	1/5
3	खुशाल गेमा लुम्बा पि. खेता	1/15	1/20
4	मांगीया पुत्र केसा	1/15	1/20
5	देवा पुत्र भोमा	1/15	1/20
6	राजा पुत्र ओटा	1/10	1/10
7	मिटीया सरूपा डूँगा पि. पना	1/15	1/20
8	बाबूडा मोहन रामा पि. देवा	1/10	1/10 मेगवाल
	गंगाराम पुत्र अनाराम कुम्हार	1/5	1/5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार......................02

उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 52/2021 GCMS NO. 2021/133
अनवान जीतूदेवी बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

तहसीलदार, बाली ने अपनी जांच रिपोर्ट में यह भी वर्णित किया कि सैटलमेंट के त्रुटिपुर्ण दर्ज हिस्सो के अनुसार ही खातेदारो के विरासत के नामान्तरकरण होते रहे एवं उसी अनुसार गलत हिस्से दर्ज होते रहे। साथ ही सग्रीकेशन में 5 खातेदारो के नाम दोहरी प्रविष्टी होने से कुल दर्ज 42 नाम सबके हिस्से 1/42 दर्ज हो गये , जो गलत हैं। प्रार्थीया सेग्रीकेशन से पूर्व गणेशराम पुत्र गंगाराम कुम्हार से 1/15 हिस्सा एवं पोकरराम पुत्र गंगाराम कुम्हार से 1/15 हिस्सा कुल 2/15 हिस्सा खरीद किया था, जिसका अंकन राजस्व रेकर्ड में हो चुका था किन्तु सेग्रीकेषन में प्रार्थीया का भी 1/42 हिस्सा दर्ज हुा, जो 2/15 हिस्सा दर्ज होना था। जिससे प्रार्थीया की मांग अनुसार प्रार्थीया का 2/15 हिस्सा शुद्धि के साथ अन्य दर्ज खातेदारो का हिस्सा भी शुद्धि किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम सेवाडी तहसील बाली में सह खातेदारी में धारित की जा रही भूमि खसरा नंबर 311, 313 से 325 कुल खसरा–14 कुल रकबा 10.84 हैक्टर में दर्ज प्रार्थी के **त्रुटिपुर्ण हिस्सा** 1/42 की जगह दुरस्ती के माध्यम से सही व **शुद्ध हिस्सा 2/15 हिस्सा** दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तथा साथ ही निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी व पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रेकर्ड में दर्ज दोहरी प्रविष्टियो को विलेपित कर सही व शुद्ध हिस्सा दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। निरीक्षक भू0अ0 सेवाडी व पटवारी हल्का, सेवाडी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, सेवाडी को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री ...)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भू0 अभिलेख अधिकारी
जिला-पाली (राज.)
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 17-8-2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी ... पाली (राज.)

Scanned with CamScanner